परि० – 1

[19/3/2021]

चिवालय

विषय :

प्रश्न सं. [क्र. 4605]

क्रमांक 4444 / 2013 / स्था / 19

का विभाग

विषयः– कार्यभारित स्थापना में निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर नियुक्ति के संबंध में अभिमत बाबत।

सचिव,लोक स्वा. एवं यांत्रिकी विभाग की मिनिटस टीप क्र.664 / दि.14 / 8 / 13 द्वारा कार्यभारित स्थापना में निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर नियुक्ति के संबंध में लोक निर्माण का अभिमत निम्नानुसार हैः–

उपयंत्री के पद पर नियुक्ति / पदोन्नति के लिए, नियमित स्थापना के अलावा कार्यभारित स्थापना के निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी सम्मिलित किए जाने के संबंध में लोक निर्माण (विभाग) का अभिमत है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 2216 / 3329 / 2006 / 1–3 दि.17 / 6 / 2006 में सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के संदर्भ में नियमित अथवा कार्यभारित स्थापना का कोई भेद नहीं है,अतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विभागीय भर्ती नियमों में संशोधन किया जाकर निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारी, चाहे वे नियमित स्थापना में हो अथवा कार्यभारित स्थापना में, को उपयंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

2/– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विभाग के अंतर्गत उपयंत्री पद पर कुल केडर स्ट्रेंथ के 10 प्रतिशत पद ,जो कि निचले स्तर पर कार्यरत डिप्लोमाधारी कर्मचारियों की पदोन्नति अथवा सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाना नियमों में प्रावधानित है, को सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि इससे सीधी भर्ती के नियमानुसार 90 प्रतिशत पद जो खुली स्पर्धा के माध्यम से भरे जाना है,उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रकरण के शेष बिंदुओं पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई अभिमत प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

प्रमुख सचिव,लोक निर्माण द्वारा अनुमोदित

4/9/13

(आर.के.मिश्रा)
अवर सचिव
लोक निर्माण विभाग

सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी